प्रपत्र–5

(नियम 24 का उपनियम 2 देखिए)

केवल निर्माण अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
जिला–बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

श्री सैय्यद नवेद शेर, सै0 मसूर शेर आदि,
पुत्रगण श्री मुनव्वर शेर, ग्राम मोहम्मदपुर चौकी,
बाराबंकी।

महोदय,

कालोनी मार्ग **लखनऊ–फैजाबाद** रोड मोहल्ला/बाजार/ग्राम **मोहम्मदपुर चौकी** नगर **बाराबंकी** के प्लाट ....घर/के सजरा संख्या 52, 53, 54ए, 54बी, 55, 59, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 139, 140, 141, 142, 143 व 144एंव 14..भवन सं0.......(/में **निर्माण**/~~सारबान/परिवर्तन/गिराने~~ के लिए अनुज्ञा देने के आपके मानचित्र सं0 110/2015 के सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर **स्वीकृत दे दी गई है**/~~देने से इन्कार कर दिया है~~:–

1– प्रश्नगत स्थल हेतु जलापूर्ति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपड, ड्रेनेज, सीवरेज एंव कूडा निस्तारण की व्यवस्था आप द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– अर्थिक दृष्टि से दुर्बल एंव अल्प आय वर्गो के व्यवक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने नीति विषयक शासनादेश संख्या–4/2015/176/आठ–1–14–80 पिविध/2010 दिनांक 20.01.2015, शासनादेश संख्या–1/2418/आठ–1–14–80विविध/10, दिनांक 26.08.2014 एंव शासनादेश संख्या–3188/आठ–1–13–80विविध/2010, दिनांक 05.12.2013 का अनुपालन कराना होगा।

3– शासनादेशों के अनुसार स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंव अग्निशमन सुरक्षा के मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।

4– प्रस्तावित निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था, हरित पट्टिका संरक्षण, खुले पार्को का विकास शासनादेशानुसार मौके पर सुनिश्चित किया जाना होगा।

5– आप द्वारा ड्रेनेज सिस्टम इस प्रकार बनाया जायेगा, जिससे बरसाती/प्राकृतिक जल–प्रवाह बाधित न हो तथा निर्माण के कारण आस–पास की आबादी में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।

6– समस्त वांछित विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करनी होगी।

7– पूर्णतया प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन में अध्यासन/कय–विकय अनुमन्य होगा।

8– समस्त सर्विसेज का विकास एंव संयोजन पक्ष द्वारा स्वतः सुनिश्चित करना होगा।

9– सीवर तथा इसका निस्तारण, पानी की निकासी, पेयजल व्यवस्था आदि सम्बन्धित विभागों के मानको के अनुरूप विकसित कर स्थानीय संस्थाओं को नियमानुसार हस्तान्तरित करने तक सेवाओं के रख–रखाव की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता/भू–स्वामी की रहेगी।

10– भवन निर्माण एंव विकास उपविधि–2008 के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

संलग्नक–मानचित्र की एक प्रति।
कार्यालय सूचना संख्या 110/15
दिनांक 23.12.15 [illegible]

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी।

क्रम संख्या–197

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2014

भाद्रपद 14, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या 1458/8-3-14-54एलयूसी-12

लखनऊ, 5 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

प०आ०–167

चूंकि बाराबंकी की महायोजना में निम्नलिखित संशोधनों के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की सूचना दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" एवं "दैनिक जागरण" में दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 के अंक में प्रकाशित की गयी थी।

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

और राज्य सरकार ने विकासकर्ता के द्वारा शपथ पत्र में दी गयी वचनबद्धता का अनुपालन भविष्य में यथासमय सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ (प्रस्ताव सड़क से 22.5 मी0 मार्गाधिकार 25 मी0 हरित पट्टी छोड़ने के बाद प्रस्तुत किया गया, मानचित्र स्वीकृति से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देगा, प्रस्तावित भूमि पर जलापूर्ति–सीवेज एवं ड्रेनेज के निस्तारण की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा) प्रस्ताव अन्ततः अनुमोदित किया गया। अनुसूची के अनुसार शासनादेश संख्या 1537 / 8–3–14–54एलयूसी-12 दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुये, निर्देश दिया है कि इसे प्रकाशित किया जाय।

अतएव अब उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी किये गये उ0प्र0 निर्माण विनियमन निदेश 1960 के पैरा–10ख के उप पैरा(7) के उपबन्धों के अनुसरण में बाराबंकी की महायोजना में राज्य सरकार द्वारा यथा सशर्त अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन गजट में प्रकाशित किये जाते है। महायोजना में किये गये उक्त संशोधनों की प्रति किसी कार्य दिवस में कलेक्टर, बाराबंकी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1	बाराबंकी	नवाबगंज	मोहम्मदपुर चौकी	143	0.0930	कृषि	आवासीय
2			मोहम्मदपुर चौकी	55	0.1700	कृषि	आवासीय
3			मोहम्मदपुर चौकी	59	0.5140	कृषि	आवासीय
4			मोहम्मदपुर चौकी	144	0.0056	कृषि	आवासीय
5			मोहम्मदपुर चौकी	111	0.1550	कृषि	आवासीय
6			मोहम्मदपुर चौकी	128	0.0270	कृषि	आवासीय
7			मोहम्मदपुर चौकी	125	0.3715	कृषि	आवासीय
8			मोहम्मदपुर चौकी	105	0.3920	कृषि	आवासीय
9			मोहम्मदपुर चौकी	110	0.3790	कृषि	आवासीय
10			मोहम्मदपुर चौकी	112	0.4650	कृषि	आवासीय
11			मोहम्मदपुर चौकी	113	0.2650	कृषि	आवासीय
12			मोहम्मदपुर चौकी	114	0.3160	कृषि	आवासीय
13			मोहम्मदपुर चौकी	115	0.6560	कृषि	आवासीय
14			मोहम्मदपुर चौकी	116	0.4930	कृषि	आवासीय
15			मोहम्मदपुर चौकी	117	0.4550	कृषि	आवासीय
16			मोहम्मदपुर चौकी	118	0.5380	कृषि	आवासीय
17			मोहम्मदपुर चौकी	119	0.0097	कृषि	आवासीय
18			मोहम्मदपुर चौकी	121	0.0068	कृषि	आवासीय
19			मोहम्मदपुर चौकी	123	0.0481	कृषि	आवासीय
20			मोहम्मदपुर चौकी	131	0.0683	कृषि	आवासीय
21			मोहम्मदपुर चौकी	139	0.1069	कृषि	आवासीय
22			मोहम्मदपुर चौकी	140	0.4877	कृषि	आवासीय
23			मोहम्मदपुर चौकी	52	0.0405	कृषि	आवासीय
24			मोहम्मदपुर चौकी	53	0.2700	कृषि	आवासीय
25			मोहम्मदपुर चौकी	126	0.2930	कृषि	आवासीय
26			मोहम्मदपुर चौकी	127	0.0800	कृषि	आवासीय
27			मोहम्मदपुर चौकी	141	0.0200	कृषि	आवासीय
28			मोहम्मदपुर चौकी	142	0.1390	कृषि	आवासीय
29			मोहम्मदपुर चौकी	54ए	0.1890	कृषि	आवासीय
30			मोहम्मदपुर चौकी	54बी	0.0700	कृषि	आवासीय
				योग	7.1241 हेक्टेयर		
1	बाराबंकी	नवाबगंज	मोहम्मदपुर चौकी	123	0.0377	कृषि	व्यवसायिक
2			मोहम्मदपुर चौकी	125	0.0375	कृषि	व्यवसायिक
3			मोहम्मदपुर चौकी	119	0.0164	कृषि	व्यवसायिक
4			मोहम्मदपुर चौकी	121	0.0440	कृषि	व्यवसायिक
5			मोहम्मदपुर चौकी	124	0.2348	कृषि	व्यवसायिक
				योग	0.3704 हेक्टेयर		
				कुल योग	7.4945 हेक्टेयर		

आज्ञा से,
योगेश्वर राम मिश्र,
जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी।

प्रतिहस्ताक्षरित
पनधारी यादव,
सचिव।